

वर्षिषः गलिगति-बाल्टसितानः पाकसितान की नापाक कोशशि और भारत का वरिोध

संदरभ एवं पृषठभूमि

हाल ही में पाकसितानी प्रधानमंत्री खाकान अबबासी ने एक शासकीय ऑर्डर जारी कर गलिगति-बाल्टसितान स्वायत्तशासी कषेत्र के प्रशासन के सभी अधिकार समाप्त कर दिये। गलिगति-बाल्टसितान स्वायत्तशासी कषेत्र के अधिकारों को सीमति करने के पीछे माना यह जा रहा है कि पाकसितान इसे अपना पाँचवाँ प्रांत बनाने जा रहा है। भारत ने कड़ा वरिोध करते हुए इसे गैर-कानूनी तरीके से पाकसितान में मलाने की साजशि बताया और कहा कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और गलिगति-बाल्टसितान उसी प्रांत का एक हसिसा है। जम्मू-कश्मीर का हसिसा रहे इस कषेत्र पर पाकसितान ने अनधिकृत तौर पर कब्जा किया हुआ है।

क्या है इस आदेश में?

- पाकसितान की कैबिनेट ने 21 मई को गलिगति-बाल्टसितान संबंधी आदेश को मंजूरी दी थी और कषेत्र की वधिानसभा ने भी इसका समर्थन किया।
- गलिगति-बाल्टसितान (जीबी) ऑर्डर 2018 के आर्टिकल 77(2) के मुताबकि, गलिगति-बाल्टसितान की अदालतों के पास अब न तो इतनी शक्ति है और न ही कषमता कि वे देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग सकें। इस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री को कानून से भी ऊपर रखा गया है।
- नए कानून ने 'गलिगति-बाल्टसितान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश 2009' का स्थान लिया है, जिसके तहत गलिगति-बाल्टसितान की स्थानीय परिषद खनजि, जलवदियुत और पर्यटन से संबंधित कानून बनाती थी और इस पर फैसला लेती थी।
- अब ये फैसले गलिगति-बाल्टसितान की वधिानसभा लेगी।
- नए कानून के तहत अब इस इलाके के लोगों को पाकसितान के अन्य चार प्रांतों की तरह अधिकार हासिल होंगे।

अभी क्या है स्थिति?

- बलूचसितान, खैबर-पख्तूनख्वा, पंजाब और सधि पाकसितान के चार प्रांत हैं।
- पाक अधिकृत कश्मीर और गलिगति-बाल्टसितान दोनों अलग-अलग इलाके हैं, जबकि भारत इन्हें जम्मू-कश्मीर का एक हसिसा मानता है।
- इन दोनों कषेत्रों की अपनी वधिानसभाएँ हैं और तकनीकी रूप से यह पाकसितान संघ का हसिसा नहीं है।
- पाकसितान कश्मीर के लिये एक वर्षिष मंत्री और संयुक्त परिषदों के ज़रिये उनका शासन करता है।
- प्रत्यक्षतः दोनों कषेत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन वदिश और रक्षा मामले पाकसितान के नियंत्रण में हैं।
- अभी तक गलिगति-बाल्टसितान स्वायत्त कषेत्र है, जहाँ प्रादेशिक असेंबली के अलावा एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भी है।
- इसका कुल कषेत्रफल 72,971 वर्ग कमी. है और इसका प्रशासनिक केंद्र गलिगति शहर है, जिसकी जनसंख्या लगभग ढाई लाख है।
- कुल लगभग 20 लाख की जनसंख्या में 14% शहरी आबादी वाले गलिगति-बाल्टसितान में शिया मुसलमिों की संख्या अधिक है।
- पाकसितान ने 1963 में पाक अधिकृत कश्मीर की 5 हजार वर्गमील वाली शक्सगाम घाटी का इलाका चीन को दे दिया था, जिससे होकर चीन ने कराकोरम राजमार्ग बना लिया।
- 1970 में पाकसितान ने गलिगति एजेंसी, बाल्टसितान, हुंजा और नगर इलाकों को मलिाकर नार्दन एरियाज़ का गठन किया था।
- गलिगति-बाल्टसितान में कुल 7 ज़िले हैं, जिनमें से 5 गलिगति में और 2 बाल्टसितान में हैं तथा गलिगति और स्करदू से इनका प्रशासन चलाया जाता है।
- पाकसितान ने एक योजना के तहत गलिगति-बाल्टसितान सशक्तीकरण और स्वशासन आदेश जारी कर 2009 में गलिगति-बाल्टसितान में वधिानसभा बनाई थी, ताकि इस कषेत्र को अलग प्रांत बनाया जा सके।
- गलिगति-बाल्टसितान की सीमाएँ पश्चिम में खैबर-पख्तूनख्वा से, उत्तर में अफगानसितान के वाखान गलियारे से, उत्तर-पूर्व में चीन के शनिजियांग प्रांत से, दक्षिण में पाकसितान अधिकृत कश्मीर और दक्षिण-पूर्व में भारतीय जम्मू-कश्मीर राज्य से लगती हैं।

क्यों बनाना चाहता है पाँचवाँ प्रांत?

चीन-पाकसितान आर्थिक गलियारा (CPEC) इसी इलाके से होकर बनाया जा रहा है। चूँकि यह इलाका वविादित है, इसलिये चीन चाहता है कि इस कॉरिडोर के तैयार होने से पहले इसके तमाम कानूनी पहलू पूरे कर लिये जाएँ। अगर गलिगति-बाल्टसितान को पाकसितान के पाँचवें प्रांत का दर्जा दिया जाता है तो भारत के लिये परेशानी यह होगी कि पाकसितान कानूनी तौर पर इस इलाके पर अपना दावा मज़बूत कर लेगा और चीनी सेना की यहाँ मौजूदगी भी हो जाएगी।

भारत की चिंता

- यह इलाका पाकस्तान अधकृत कश्मीर (PoK) से लगा हुआ है और अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से भारत के लिये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- इसके पश्चिम में पाकस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, उत्तर में चीन और अफगानस्तान तथा पूरव में भारत है, जिसमें दुनिया का सबसे ऊँचा युद्धस्थल और क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण सियाचिनी भी शामिल है।
- भारत इस वविदति क्षेत्र से CPEC के गुजरने को लेकर चीन के समकष कई बार वरिध दरज करा चुका है।
- पाकस्तान अधकृत कश्मीर की सीमा से लगे गलित-बाल्टस्तान क्षेत्र को पाँचवां प्रांत घोषित करने की पाकस्तान की कसि भी कोशशि को भारत नकारता है।
- भारत पूरे जममू-कश्मीर को अपना अभनिन अंग मानता है जिसमें पाकस्तान अधकृत कश्मीर और गलित-बाल्टस्तान दोनों आते हैं, इसलिये पाकस्तान को जममू-कश्मीर के कसि भी हसिसे को एक अलग पाकस्तानी प्रांत बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

पाकस्तान के लिये जरूरी है CPEC

- अप्रैल 2015 में चीन और पाकस्तान के बीच इस बहुचर्चित गलियारे को लेकर समझौता हुआ था। इस गलियारे से चीन को हृदि महासागर में प्रवेश करने का मौका मलि गया है।
- इसके माध्यम से चीन ने भारत और उसके पड़ोसी देशों के अलावा पश्चिमि एशिया में अपना राजनैतिक और सैनिकि प्रभुत्व बनाए रखने के लिये एक उपनविश स्थापति कर लिया है।
- चीन-पाकस्तान के इस आर्थिकि गलियारे ने पारंपरिकि उत्तर-दक्षणि व्यापार पथ को पलटकर रख दिया है।
- पाकस्तान ने ऐसे आर्थिकि और भौगोलिकि मार्ग को चुना है, जिसका नकशा अब चीन तय करता रहेगा।

क्या है CPEC?

- चीन के सहयोग से 51 बलियिन डॉलर की लागत वाली इस परयोजना पर तेज़ी से काम चल रहा है।
- इसका उद्देश्य पाकस्तानी अवसंरचना को बढ़ाना और उसे समुन्नत करना है तथा साथ ही पाकस्तान और चीन के बीच आर्थिकि संबंधों को और मज़बूत करना भी है।
- यह परयोजना दक्षणि-पश्चिमि में पाकस्तान के ग्वादर को चीन के उत्तर-पश्चिमि के शनिजियांग प्रांत से एक राजमार्ग और रेलवे के वृहत् नेटवर्क से जोड़ेगी।
- इस परयोजना के तहत 1,100 किलोमीटर का लंबा राजमार्ग कराची और लाहौर के बीच में बनाया जाएगा।

कराकोरम हाईवे: इसके अलावा रावलपिंडी और चीनी सीमा के बीच कराकोरम हाईवे को पूरी तरह से नया बनाया जाएगा। पाकस्तान अधकृत कश्मीर के गलित-बाल्टस्तान क्षेत्र के हुंजा इलाके में एक गाँव है सुस्त, जो चीनी सीमा के पहले कराकोरम राजमार्ग पर अंतिमि गाँव है। यहीं से चीन के मालवाहक कंटेनर कराकोरम हाईवे से होकर गलित-बाल्टस्तान में प्रवेश करेंगे।

- CPEC के तहत पाकस्तान के रेल नेटवर्क को चीन के दक्षणि शनिजियांग रेलवे, काशगर से जोड़ा जाएगा।
- प्राकृतिकि गैस और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिये पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क भी इस परयोजना के तहत बनाया जाएगा।
- इसमें 2.5 बलियिन डॉलर की लागत से ग्वादर और नवाबशाह के बीच बनने वाली पाइपलाइन भी शामिल है जिसि ईरान से आने वाली गैस को लाने के लिये बनाया जाएगा।
- चीन द्वारा बनाया जा रहा यह कॉरीडोर गलित-बाल्टस्तान और पाकस्तान अधकृत कश्मीर से होकर गुजरेगा।
- पाकस्तान के अनुसार इस परयोजना से 2015-2030 के बीच 7 लाख रोज़गार उत्पन्न होंगे।
- इससे पाकस्तान के आर्थिकि वकिस में 2 से 2.5 प्रतिशत वार्षिकि की वृद्धि हो सकती है।
- चीन का यह नविश 2002 से अब तक पाकस्तान को अमेरिका से मलि कुल आर्थिकि सहायता से भी ज़्यादा है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

चीन के कब्जे वाला अक्साई चिनी भी जममू-कश्मीर का हसिसा है

- भारत और चीन के बीच एक लंबी सीमा है और इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा भारत के लिये हमेशा से एक जटलि मुद्दा रहा है। कभी-कभी इस क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा अतिक्रमण की खबरें भी आती रहती हैं।
- जममू-कश्मीर में चीन के साथ भारत का वविद अक्साई चिनी क्षेत्र को लेकर रहता है। इसे भारत जममू-कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र का हसिसा मानता है, जबकि इस पर वास्तविकि नयितरण चीन का है और यह उसके स्वायत्तशासी प्रांत शनिजियांग का हसिसा है।
- 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय चीन ने तत्कालीन 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी' (NEFA) के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और चीनी सेना तेज़पुर तक पहुँच गई थी।
- 21 नवंबर, 1962 को चीन ने एकतरफा युद्धवरिम लागू करके पूरे पश्चिमि अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना हटा ली और इस क्षेत्र में युद्ध से पूरव की स्थिति को बहाल कर दिया था।
- चीन ने लद्दाख के जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, उसे अपने नयितरण में बनाए रखा, जो आज भी चीन के नयितरण में है। इसी क्षेत्र को अक्साई चिनी (Aksai Chin) कहते हैं।
- भारत का कहना है कि चीन ने 1962 की लड़ाई में अक्साई चिनी के 38 हज़ार वर्गमील इलाके पर कब्जा कर लिया था।

अंतरराष्ट्रीय जगत का क्या है कहना?

- गलिलगति-बाल्टस्तान पर पाकस्तान का कब्ज़ा पूरी तरह अवैध है; न केवल ब्रिटिश संसद इसे कश्मीर का हिस्सा मानती है, बल्कि यूरोपीय संघ भी इसे कश्मीर का ही हिस्सा बताता है।
- ब्रिटन की संसद में पछिले वर्ष कंज़र्वेटिव संसद बॉब ब्लैकमैन ने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें गलिलगति-बाल्टस्तान पर पाकस्तान के कब्ज़े को अवैध बताया गया था।
- इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकस्तान ने गलिलगति-बाल्टस्तान पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है, जबकि यह क्षेत्र उसका है ही नहीं।

क्या है इस क्षेत्र का इतिहास?

- पहले इसे उत्तरी (शुमाली) इलाका अर्थात् नॉर्डन एरियाज़ कहा जाता था। अपनी भौगोलिक संरचना की वज़ह से यह इलाका भारत, चीन और पाकस्तान, तीनों के लिये सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

विविध लीज़ डीड: डोगरा शासकों ने अंग्रेजों के साथ हुई लीज़ डीड को 1 अगस्त, 1947 को रद्द करते हुए क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 1935 में एक लीज़ डीड के तहत ब्रिटिश शासकों को 60 साल तक के लिये इस क्षेत्र का नियंत्रण दे दिया था।

- 1947 में भारत विभाजन के समय यह क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर की तरह न भारत का हिस्सा रहा और न ही पाकस्तान का।
- महाराजा हरि सिंह को गलिलगति स्काउट के स्थानीय कमांडर कर्नल मरिजा हसन खान के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसने 2 नवंबर, 1947 को गलिलगति-बाल्टस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया।
- इससे दो दिन पहले 31 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दी थी।
- 21 दिन बाद पाकस्तान इस क्षेत्र में दाखिल हुआ और उसने सैन्य बलों तथा कबाइलियों के बल पर इस क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया।
- अप्रैल 1949 तक यह इलाका पाकस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा।
- 28 अप्रैल, 1949 को पाकस्तान अधिकृत कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गलिलगति के मामलों को सीधे पाकस्तान की केंद्र सरकार के तहत कर दिया गया।
- इस करार को कराची समझौते के नाम से जाना जाता है और क्षेत्र का कोई भी नेता इस करार में शामिल नहीं था।
- विविध गलिलगति-बाल्टस्तान में दो स्वतंत्रता दलिस मनाए जाते हैं--एक 14 अगस्त को, जब पाकस्तान अपना स्वतंत्रता दलिस मनाता है और दूसरा 1 नवंबर को, जब यह इलाका 1947 में हासिल की गई अपनी उस आजादी को याद करता है, जो केवल 21 दिन तक टिके पाई थी।
- कालांतर में पाकस्तान ने गलिलगति-बाल्टस्तान के सुदूर उत्तर में स्थित एक इलाके को कराकोरम राजमार्ग के निर्माण के लिये चीन को दे दिया।
- पाकस्तान का कहना है कि डोगरा राजतंत्र ने क्षेत्र पर नियंत्रण को खत्म कर दिया था और जम्मू-कश्मीर के अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह का लगभग 73 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि पाकस्तान को इस क्षेत्र का नियंत्रण कैसे मलि गया?
- पाकस्तान भारत के इस दावे को यह कहकर नकारता है कि डोगरा शासकों ने 1846 में इस इलाके को जम्मू-कश्मीर में शामिल कर लिया था, अन्यथा यह कभी भी इस रियासत का हिस्सा नहीं रहा।
- अपने दावे के पक्ष में पाकस्तान 1935 की उपरोक्त लीज़ डीड का उल्लेख करता है, जिसने ब्रिटिश शासकों को 60 साल तक के लिये इस क्षेत्र का नियंत्रण दे दिया था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

नबिकरष: भारत का दावा है कि गलिलगति-बाल्टस्तान 1947 तक अस्तित्व में रही जम्मू-कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा था, इसलिये यह पाकस्तान के साथ क्षेत्रीय विवाद का हिस्सा है। पाकस्तान इस क्षेत्र को विविध कश्मीर के क्षेत्र से पृथक मानता है और इस पर अपने कब्ज़े के बाद उसने चीन के सहयोग से इस क्षेत्र के खनजिओं और जलविद्युत संसाधनों के दोहन के लिये बड़े पैमाने पर निवेश किया है। चीन के साथ मलिकर पाकस्तान यहाँ आर्थिक कॉरिडोर तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इस विविध क्षेत्र में चीन की पहुँच और पाकस्तान के दमनकारी शासन के मानवाधिकार उल्लंघन ने इलाके में अलगाववादी आंदोलन को जन्म दिया, लेकिन इस आंदोलन की कम ही जानकारी मलित्ती है। बेहद कड़े संघीय कानून इस क्षेत्र तक विदेशियों और मीडिया की पहुँच को लगभग असंभव बनाते रहे हैं। जब भी पाकस्तान और चीन की गतिविधियों का यहाँ के लोग वरिध करते हैं तो सेना इसे कुचल देती है। स्थानीय लोग इसका वरिध करते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पाकस्तान का उद्देश्य क्षेत्र के जनसांख्यिकीय चरित्तर को बदलना है। यहाँ के स्थानीय निवासी चाहते हैं कि भारत और पाकस्तान के बीच कश्मीर विवाद के हल की प्रक्रिया में उन्हें भी हिस्सा बनाया जाए।